संख्या– 436 /XXIV(7)/2018–20(6)08

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 07 अगस्त, 2018

विषयः–राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल) में स्ववित्त पोषित आधार पर एम0ए0 योग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक डिग्री प्लान/2680/2018–19 दिनांक 26 जून, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल) में स्ववित्त पोषित आधार पर एम0ए0 योग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम शतप्रतिशत स्ववित्त पोषित आधार (Self-Finance mode) पर महाविद्यालय प्राचार्य के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण में संचालित किये जायेंगे अर्थात उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु वर्तमान तथा भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय भार किसी भी दशा में शासन द्वारा वहन नहीं किया जायेगा, न ही शासन द्वारा उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी भी प्रकार के पदों का सृजन किया जायेगा।

(2) उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता/छात्रों का प्रवेश तथा शुल्क एवं सीट वृद्धि/शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर फैकल्टी की संविदा पर नियुक्ति एवं उनका मानदेय आदि समस्त कार्य महाविद्यालय प्राचार्य के प्रशासनिक नियन्त्रण में सम्पादित किये जायेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य तदविषयक प्रकरणों पर निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से प्रकरण में इस हेतु पूर्व गठित प्राविधानों के आलोक में प्रस्ताव शासन की पूर्वानुमति हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त महाविद्यालय अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ करेगा। किसी भी प्रकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमित्ता की स्थिति में महाविद्यालय प्राचार्य का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

क्रमशः..............2/–

Scanned by CamScanner

(3) स्ववित्त पोषित आधार पर संचालित उक्त पाठ्यक्रम के समापन अथवा इस निमित महाविद्यालय के वित्तीय स्रोत समाप्त होने के साथ ही उक्त पाठ्यक्रम संचालन हेतु तैनात संविदाधारक फैकल्टी की सेवा स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी तथा उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय में तैनात संविदा फैकल्टी का यदि शैक्षणिक सत्र के दौरान कोई अनुशासनहीनता, कदाचार अथवा पठन-पाठन में उदासीनता या अन्य किसी प्रकार के समाज विरोधी अनैतिक कार्यवाही में संलिप्तता पाये जाने पर, तुरन्त सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस हेतु नियोजित फैकल्टी का महाविद्यालय में निरन्तर सेवायोजन/संविलियन के हकदार आदि सम्बन्धी ऐसा कोई दावा विधि मान्य नहीं होगा।

(4) स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु संविदा पर तैनात शिक्षकों के पद हेतु शैक्षिक अर्हता वह होगी जो नियुक्ति के समय पाठ्यक्रम की नियामक संस्था (यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0 आदि) द्वारा निर्धारित हों तथा शिक्षणेत्तर के पदों की शैक्षिक अर्हता वह होगी जो राजकीय संस्थानों के कार्मिकों की सेवा नियमावली में प्राविधानित हो।

(5) स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्राप्त कुल आय एवं उसके सापेक्ष मानदेय भुगतान आदि व्यय विवरण सहित लेखा-जोखा/वार्षिक आय-व्ययक (Annual Balance Sheet) महाविद्यालय के प्राचार्य निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से शासन को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर प्रस्तुत करेंगे।

(6) उक्त पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु समय इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि महाविद्यालय में पूर्व से संचालित कक्षाओं के संचालन पर कोई प्रभाव न पड़े।

भवदीय,

6/8/2018

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः– —— (1)/XXIV(7)/2018–20(6)08 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
(3) प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल)।
(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी),
उप सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड राज्य

☎ 05946–240666, 240777
E-Mail:hedegreeplan@gmail.com

पत्रांकः डिग्री प्लान/ 3683 /2018–19, दिनांकः 08 अगस्त, 2018

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामनगर (नैनीताल)।

विषयः राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर (नैनीताल) में स्ववित्त पोषित आधार पर एम0ए0 योग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 436/XXIV(7)/2018–20(6)08, दिनांकः 07 अगस्त, 2018 द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल) में स्ववित्त पोषित आधार पर एम0 ए0 योग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की स्वीकृति वांछित बिन्दुवार प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान की गयी है।

उपरोक्त शासनादेश की प्रति सूचनार्थ संलग्नक प्रेषित है।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

डॉ0 (ललित प्रभा शर्मा)
उप निदेशक,
कृते निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

श्री रणजीत सिंह मरेपाली
एक [illegible] पंजिका बनाकर
अंकित किया जाय कर
9/8/18

Scanned by CamScanner

संख्या– 436 /XXIV(7)/2018–20(6)08

क,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांक 07 अगस्त, 2018

विषयः–राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल) में स्ववित्त पोषित आधार पर एम0ए0 योग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक डिग्री प्लान/2680/2018–19 दिनांक 26 जून, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल) में स्ववित्त पोषित आधार पर एम0ए0 योग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम शतप्रतिशत स्ववित्त पोषित आधार (Self-Finance mode) पर महाविद्यालय प्राचार्य के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण में संचालित किये जायेंगे अर्थात उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु वर्तमान तथा भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय भार किसी भी दशा में शासन द्वारा वहन नहीं किया जायेगा, न ही शासन द्वारा उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी भी प्रकार के पदों का सृजन किया जायेगा।

(2) उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता/छात्रों का प्रवेश तथा शुल्क एवं सीट वृद्धि/शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर फैकल्टी की संविदा पर नियुक्ति एवं उनका मानदेय आदि समस्त कार्य महाविद्यालय प्राचार्य के प्रशासनिक नियन्त्रण में सम्पादित किये जायेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य तदविषयक प्रकरणों पर निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से प्रकरण में इस हेतु पूर्व गठित प्राविधानों के आलोक में प्रस्ताव शासन की पूर्वानुमति हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त महाविद्यालय अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ करेगा। किसी भी प्रकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमित्ता की स्थिति में महाविद्यालय प्राचार्य का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

क्रमशः.................2/–

Scanned by CamScanner

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांकः केयू / मान्यता / सम्बद्धता / 2019–20 /974 **दिनांकः** 26/XI/2019

सेवा में,

प्राचार्य,
पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामनगर, (नैनीताल)।

महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांकः 1255 / जी0एस0 / शिक्षा / A3-87/2019 दिनांक 11 जुलाई, 2019 के क्रम में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.08.2019 के मद संख्या–14 में लिए गये निर्णयानुसार महाविद्यालय को निम्नांकित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ 05 में वर्णित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम0सं0	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षिणक सत्र
1	2	3	4	5
1.	पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, (नैनीताल)।	एम0ए0–योग (स्ववित्तपोषित)	60 सीट	2019–20 (नवीन अस्थाई सम्बद्धता)

ह0 /
कुलपति

पृ0सं0: केयू / मान्यता / 2019–20 /974 तद्‌दिनांक 26/XI/2019
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति, राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून.।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड, नुवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी।
4. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से
26/11/2019

उप–कुलसचिव
मान्यता